कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

मुख्यालय
Headquarters
पंचदीप भवन सी॰आई॰जी रोड , नई दिल्ली-110002
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110 002
Phone: 011-23604700 Email : dir-gen@esic.nic.in
Website : www.esic.nic.in / www.esic.in

No. - R/1149/2024-BFT-1 Date:- 02.11.2024

सेवा में,

1-सभी अंचलों के आंचलिक चिकित्सा आयुक्त/आंचलिक बीमा आयुक्त।

All Zonal Medical Commissioners/Zonal Insurance Commissioners of all regions.

2-सभी अपर आयुक्त व क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक/ उप निदेशक (प्रभारी) क्षेत्रीय कार्यालय /उप क्षेत्रीय कार्यालय

All Addl. Commissioner & Regional Directors / Regional Directors / Dy. Directors (I/c), Regional Offices / Sub-Regional Offices

3-अन्य संबंधित कराबी निगम एकक

Other concerned ESIC Units

विषय : कराबी निगम शाखा कार्यालय मैनुअल में निहित प्रावधानों के अनुसार विभिन्न हितलाभों से संबंधित मामले जिनके लिए विशेषज्ञ चिकित्सा राय/दुर्लभ बीमारी के मामलों की स्वीकृति/विशेष परिस्थितियों में व्यावसायिक रोग की स्वीकृति आदि की आवश्यकता होती है, को हल करने के लिए दिशानिर्देश के संदर्भ मे

Subject: Guidelines for resolving various Benefits related matters which require expert Medical Opinion/approval of rare diseases cases /acceptance of occupational disease cases in special circumstance etc. as per the provisions contained in ESIC Branch office Manual: regarding

महोदया/महोदय ,

कराबीनिगम शाखा कार्यालय मैनुअल के पैरा संख्या एल.8.13/पी.4ए.23/पी.4 ए.25/पी.8.28 और 29 आदि में प्रावधान हैं कि जिन मामलों में विशेषज्ञ चिकित्सा राय/दुर्लभ रोगों के अनुमोदन/ विशेष परिस्थिति में व्यावसायिक रोग के मामलों की स्वीकृति आदि में महानिदेशक/चिकित्सा आयुक्त के अनुमोदन की आवश्यकता होती है उन्हें मुख्यालय को प्रेषित किया जाना चाहिए क्योंकि क्षेत्रीय निदेशक और समकक्ष अपने स्तर पर ऐसे मामलों को स्वीकार करने में सक्षम नहीं हैं। परिणामस्वरूप ऐसे कई मामले, विभिन्न क्षेत्रों द्वारा निर्णय के लिए मुख्यालय को भेजे जा रहे हैं। बड़ी संख्या में ऐसे मामले प्राप्त होने से मामलों को सुलझाने और निर्णयों को संबंधित इकाइयों तक पहुंचाने में अनावश्यक देरी होती है। यह कठिन प्रक्रिया ईएसआईसी के उन लाभार्थियों के लिए अनुचित कठिनाई का एक प्रमुख कारण है जो हर स्तर पर ईएसआईसी से बेहतर सेवाओं के हकदार हैं।

There are provisions contained in Para No. L.8.13/ P.4A.23 /P.4 A.25/P.8.28 & 29 etc. of ESIC Branch Office Manual to refer the cases which require **expert Medical Opinion/approval of rare diseases cases/acceptance of occupational disease cases in special circumstance etc.** to Hqrs. for necessary

approval/opinion/decision of Director General/Medical Commissioner as the Regional Director & equivalent are not competent to admit such cases at their own level. As a result , many such cases are being referred to Hqrs. office for decision by different field units. The large volume of such cases received, lead to unnecessary delay in resolving the cases and conveying the decisions to the concerned field units. This tedious process is a major cause of undue hardship to the ESIC beneficiaries who deserve better services from ESIC at every level.

2. उपरोक्त प्रक्रिया कराबीनिगम में लंबे समय से अपनाई जा रही है, जब मुख्यालय में केवल एक चिकित्सा आयुक्त तैनात होते थे । लेकिन वर्तमान में जोनल स्तरों पर चिकित्सा आयुक्त/बीमा आयुक्त (जोनल) तैनात हैं जो लाभार्थियों के इन मामलों में निर्णय प्रदान करने के लिए जोन में स्थित कराबीनिगम इकाइयों को अधिक आसानी से उपलब्ध हैं।

The above process has been in practice in ESIC since long when there used to be only one Medical Commissioner posted at Hqrs. only. But at present there are Medical commissioners/Insurance Commissioners (zonal) posted at zonal levels who are more easily available to the ESIC units located in the zones to provide prompt decisions in these matters of beneficiaries.

3. इसलिए, हितलाभों से संबंधित प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने व विलंब से बचने के लिए , ऐसे मामलों को आगे से, क्षेत्रीय कार्यालयों/उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कराबी अधिनियम 1948/कराबीनिगम शाखा कार्यालय मैनुअल में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्णय आदि हेतु सीधे उनके क्षेत्रों के चिकित्सा आयुक्त (जोनल) को भेजा जाएगा। जिन मामलों में मुख्यालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है उन्हें संबंधित चिकित्सा आयुक्त (जोनल) द्वारा विशिष्ट सिफारिश के साथ **हितलाभ शाखा मुख्यालय/चिकित्सा प्रभाग मुख्यालय** के स्तर पर आगे की जांच के लिए ***efile mode*** के माध्यम से हितलाभ शाखा को भेजा जाएगा ।

Therefore, to streamline the process *vis a vis* to avoid delay in processing of files/cases in benefits related matters, *henceforth*, such cases shall be directly sent by the Regional Offices/Sub Regional Offices to the Medical Commissioner (Zonal) of their regions/zones for decision etc. as per provisions contained in ESI Act 1948/ESIC Branch Office Manual. Any unresolved case/s requiring intervention of Hqrs. to be sent by concerned Medical Commissioner (Zonal) with specific recommendation to the Benefit Branch Hqrs. office through ***efile mode*** for further examination at the level of **Benefit Branch Hqrs/Medical Division Hqrs.**

4. इस परिपत्र में निहित निदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

The directions contained in this circular will come into force with immediate effect.

यह महानिदेशक के अनुमोदन से जारी किया गया है।

This issues with the approval of Director General, ESIC.

भवदीय,

Signed by Ravi Prakash
Date: 02-11-2024 19:41:37

(रवि प्रकाश, IOFS)
अपर आयुक्त

प्रतिलिपि :

चिकित्सा आयुक्त (चिकित्सा सेवा) को सूचनार्थ ऐवम आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1 : वेबसाइट कंटेन्ट मैनेजर को निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।